सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 61/15 निर्णय दिनांकः 16.08.2019

1. किस्तुरीदेवी बेवा गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी सहनीवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. ओमप्रकाश
3. जगदीश
4. रामकुमार
5. राजेन्द्र
6. शरबती
7. कमला
8. गुड्डी

पिसरान गोपीराम जाति बिश्नोई निवासीगण सहनीवाला तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. मीरा पत्नी हेमराज जाति यादव निवासी चक 4 सीएचएम तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. गंगाराम पुत्र बनवारीलाल जाति यादव निवासी चक 4 सीएचएम तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 10–06–2015

उपस्थितः–

1. श्री सन्तनाथ योगी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर के आदेश दिनांक 10–06–2015 जिसके द्वारा अदालत मातहत अपीलांट की खातेदारी भूमि में से मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि चक 4 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 8/51 के किला नम्बर 8, 13, 14, 15 ता 18 व मुरब्बा नम्बर 19/1 के किला नम्बर 22 ता 25 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है इसलिए अप्रार्थी गोपीराम की खातेदारी भूमि चक 4 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 8/51 के किला नम्बर 3 में से 02 बिस्वा पश्चिम दिशा से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कांकड़वाला में पत्रावली का रखते हुए अपीलांट्स के पति/पिता को सुनवाई व सबूत आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि सबसे उल्लेखनीय बिन्दु यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी गोपीराम के विरूद्व दिनांक 10–06–2015 को आदेश जैर अपील पारित किया गया है जबकि अप्रार्थी गोपीराम अर्थात अपीलांट्स के पति/पिता की मृत्यु दिनांक 15–04–2015 को अर्थात आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है आदेश है जोकि कानूनी की दृष्टि से शून्य आदेश की परिभाषा में आता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

उन्होनें गुणावगुण पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व से ही मुरब्बा नम्बर 8/43 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में रास्ता उपलब्ध है तथा वे अपनी खातेदारी भूमि में किला नम्बर 21 व 22 से होते हुए आवागमन करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में ही रास्ता उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में धारा 251 ए के तहत नये रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट्स/प्रार्थी को पूर्व में रास्ता व सिंचाई की तमाम सुविधा उपलब्ध होते हुए भी बदनियति व स्वार्थपूर्वक अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 'ए' आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की इस्तदुआ की गई। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 251 'ए' के नियम 69 का अवलोकन व पालना किये बिना ही रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि पर रास्ता कायम करने से पूर्व संबंधित तहसीलदार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि यह विधि का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रास्ते के प्रकरणों में तहसीलदार स्वयं अथवा जहॉ आवश्यक हो पीठासीन अधिकारी स्वयं मौके का निरिक्षण करते हुए मौके की वास्तविक स्थिति के अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते से संबंधित नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ।। में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व दिनांक 16—05—2019 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि चक 4 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 8/51 के किला नम्बर 8, 13, 14, 15 ता 18 व मुरब्बा नम्बर 19/1 के किला नम्बर 22 ता 25 तादादी 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि है। जिस पर प्रार्थी व उसका पूरा परिवार लम्बे अर्से से काबिज काश्त है तथा मौके पर मकान करनाकर मय पशुधन रहवास कर रही है। जिस पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने चक 4 सीएचडी के मुरब्बा नम्बर 8/51 के किला नम्बर 3 में से रास्ता कायम करने की इस्तदुआ करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी हेतु नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट उपलब्ध दस्तावेजात्, नजरी नक्शा के अवलोकन के आधार पर मुरब्बा नम्बर 8/51 के किला नम्बर 3 में 02 बिस्वा रास्ते की मंजूरी प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ते के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 8/43 के पश्चित में स्थित स्वीकृतशुदा रास्ते से उक्त मुरब्बा के किला नम्बर 21 ता 25 में से न होकर रास्ता स्वीकृत करने का तर्क दिया है। उक्त रास्ते के मध्य रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के अलावा किला नम्बर 21 व 22 में अन्य की भूमि है तथा उक्त रास्ता अपेक्षाकृत लम्बी दूरी का है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स के पिता ने जवाब पेश किया था, जिस पर विचार करने के उपरान्त सबसे निकट्तम एवं सुविधाजनक स्थान पर रास्ता स्वीकृत किया गया है। न्यायालय ने पड़ौसी पक्षों को सुनने के पश्चात् निर्णय करने में कोई भूल नहीं की है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 10—06—2015 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner